सुमिता प्रदीप

बनाम

अरुण कुमार सी. के और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1834)

/

21 अक्टूबर, 2022

[सूर्या कान्ट और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

अग्रिम जमानतःप्रतिवादी नं. के खिलाफ दायर मामला।1 एसएस के अंतर्गत ।354(1)(i), (ii) और (iv), 354 ए (2) और 354 ए (3) भारतीय दंड संहिता /डब्ल्यूएसएस।7, 8, 9 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 11-प्रत्यर्थी नं.1 यह था कि उसने अपनी 12 साल की भतीजी का यौन उत्पीड़न किया-उसने पीड़िता को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा और उसके बाद उसे गले लगाया और उसे गालों पर चूमने की कोशिश की और उसके होंठों पर चूमने की कोशिश की-उसने आगे उसे कपड़े उतारने की कोशिश की और भद्दी टिप्पणियां कीं-इस घटना ने पीड़िता को इस हद तक सदमे में डाल दिया कि वह अपने पाठ्यक्रम और प्रदर्शन में गिर गई, हालांकि वह अच्छा प्रदर्शन देने वाली एक उत्कृष्ट छात्रा थी-उसे परामर्श के लिए ले जाया गया था लेकिन उसने बात नहीं खोली-दूसरे परामर्श सत्र में, उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना का खुलासा किया-इसके बाद, प्रतिवादी नं.1 – उत्तरदाता नं.1 सत्र न्यायालय से संपर्क किया गया लेकिन अग्रिम जमानत को अस्वीकार कर दिया गया, हालांकि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत का संरक्षण प्रदान किया-पीड़ित की मां द्वारा तत्काल अपील-आयोजितःइस तरह के गंभीर आरोपों वाले मामले में, उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जांच अधिकारी जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए निशुल्क हाथ का हकदार है-तथ्य यह है कि पीड़ित को इतने उच्च स्तर तक आघात पहुंचा था कि उसके शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, विशेष रूप से एस के माध्यम से प्रतिबिंबित विधायी इरादे के साथ।29 पॉक्सो अधिनियम, किसी न्यायालय को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने में अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त है-विधि की एक गंभीर गलत धारणा प्रतीत होती है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा

हिरासत में पूछताछ के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है, तो केवल वही अग्रिम जमानत देने के लिए एक अच्छा आधार होगा-अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय हिरासत में पूछताछ अन्य आधारों के साथ विचार करने के लिए प्रासंगिक पहलुओं में से एक हो सकती है-हालाँकि, भले ही हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न हो या स्वयं ही अग्रिम जमानत देने के लिए आवश्यक न हो-कई ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

/

/

/

/

/

/

1012 ए.

1013

सुमिता प्रदीप बनाम अरुण कुमार सी. के. और ए. एन. आर.

जिन मामलों में अभियुक्त से अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले को नजरअंदाज किया जाना चाहिए या अनदेखी की जानी चाहिए और उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए-पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करने वाली अदालत को विचार करना चाहिए वह है अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला-इसके बाद, अपराध की प्रकृति को सजा की गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए-इस मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत नहीं देनी चाहिए थी।

/

जॉय बनाम केरल राज्य (2019) 1 के. एल. टी. 935-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

(2019) 1 के**.** एल**.** टी **935**

संदर्भित

पैरा **8**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1834।

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 25.07.2022 के निर्णय और आदेशों से। 2022 का सं. 5271।

/

गौरव अग्रवाल, सुश्री अनु के. जॉय, आलिम अनवर, अरविंद गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

रागेंथ बसंत, सुश्री जेहरा खान, अजय कृष्णा, हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, श्रीमती एशली हर्षद, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. अनुमति दी गई।

/

2. अपीलार्थी पीड़ित लड़की की माँ है जो 12 साल की बच्ची है।

3. अपीलार्थी एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25-7-2022 के आदेश से व्यथित है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (1) (i), (ii) और (iv), 354 A-(2) और 354 A-(3) के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 7,8,9 और 11 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन मीनांगडी जिला वायनाड में पंजीकृत 2022 के अपराध No.442 में अग्रिम जमानत का संरक्षण दिया गया है।घटना कथित तौर पर 14-12-2021 पर हुई जब प्रतिवादी

/

/

1014

/

[2022] 14 एस सी आर।

/

नंबर 1 पर अपनी 12 साल की भतीजी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने पीड़िता को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा और उसके बाद उसने उसे

गले लगाया और उसके गालों को चूमा और उसके होंठों को चूमने की कोशिश की।उसने आगे पीड़ित के कपड़े उतारने का प्रयास किया और भद्दी टिप्पणियां कीं।पीड़ित एक उत्कृष्ट छात्रा थी जो पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम दोनों गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इस घटना ने उसे इस हद तक सदमे में डाल दिया कि वह अपने पाठ्यक्रम और प्रदर्शन में गिर गई। उसे परामर्श के लिए ले जाया गया लेकिन उसने बात नहीं खोली।पीड़ित को दूसरे परामर्श सत्र के लिए ले जाया गया और उस समय, उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का खुलासा किया, जिसका सामना उसने अपने मामा, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 से किया था।इसके बाद, विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज की गई; चिकित्सा जांच की गई और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अंतर्गत पीड़ित का बयान दर्ज किया गया।अपनी गिरफ्तारी की आशंका में, प्रतिवादी संख्या 1 ने विद्वान सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

/

/

4. इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दिनांक 25-7-2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, उक्त न्यायालय ने उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कीः-

/

“12. तदनुसार, मैं निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस आवेदन की अनुमति देता हूंः

/

(क) याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 29.07.2022,30.07.2022,01.08.2022 और 02.08.2022 पर उपस्थित होगा और खुद से पूछताछ करेगा।

(ख) यदि पूछताछ के बाद, जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे जाँच अधिकारी के समक्ष समान राशि के लिए दो विलायक प्रतिभूतियों के साथ Rs.50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) के मुचलके को निष्पादित करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

/

(ग) याचिकाकर्ता आवश्यकता पड़ने पर जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और जाँच में सहयोग भी करेगा।

/

(घ) याचिकाकर्ता गवाहों को भयभीत या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा; न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या

XXXXXXX; ए

/

1015

सुमिता प्रदीप बनाम अरुण कुमार सी. के. और ए. एन. आर.

(ई) XXXXXXX

(च) "

5. पीड़ित बच्चे की मां ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

6. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

/

7. विशेष न्यायाधीश, सत्र प्रभाग, कलपेट्टा, वायनाड ने 2022 के आपराधिक विविध मामले संख्या 512 में पारित 4 जुलाई, 2022 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 (मूल आरोपी) द्वारा अनुरोध के अनुसार अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहाः-

/

“7. केस डायरी के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि इस बात पर संदेह करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया यौन शोषण याचिकाकर्ता के कहने पर हुआ है।अपराधी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का करीबी रिश्तेदार, यानी उसके मामा हैं।पुलिस के साथ-साथ विद्वान मजिस्ट्रेट को दिए गए पीड़ित के बयानों से इस तथ्य का खुलासा होता है कि यह घटना याचिकाकर्ता के घर में हुई थी, जबकि पीड़ित और उसकी मां वहां गए थे और कुछ दिनों तक वहां रहे थे।बयानों से यह भी पता चलता है कि यह घटना याचिकाकर्ता के शयनकक्ष में हुई थी, जबकि वहां कोई और नहीं था।याचिकाकर्ता का शयनकक्ष घर की सीढ़ियों के ऊपर स्थित है।अन्य सभी कैदी संबंधित समय पर घर के नीचे की सीढ़ी वाले हिस्से में थे। बयानों से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के कपड़े उतारने का प्रयास किया, उसे उसकी गोद में बिठाया, उसके स्तनों को छुआ, उसे गले लगाकर चूमा और उसके होंठों को चूमने का भी प्रयास किया।यह आगे देखा जाता है कि जब याचिकाकर्ता ने अपना टॉप हटाने का प्रयास किया, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उसने उसे छोड़ दिया।यह आगे देखा गया है कि किसी प्रकार की यौन टिप्पणी करके, उसने बच्चे में यौन भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश की।पीड़ित और याचिकाकर्ता के बीच संबंधों और जिस तरह से कृत्य किए गए थे, उसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जाना चाहिए कि वे गंभीर प्रकृति के हैं।

/

/

/

/

8. जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया, अपराध की रिपोर्ट करने में लगभग 6 महीने की देरी हुई।लेकिन, केवल देरी अभियोजन पक्ष पर अविश्वास करने का कारण नहीं है

/

1016 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 14 एस. सी. आर.

/

मामला।जॉय बनाम केरल राज्य (2019 (1) के. एल. टी. 935) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना देने में केवल देरी, विशेष रूप से एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न, कोई मायने नहीं रखता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।इसके अलावा, केस डायरी स्पष्ट रूप से देरी का एक अच्छा कारण दिखाती है।सामग्री से पता चलता है कि घटना के बाद, पीड़ित अपनी पढ़ाई में अचंभित हो गई और उदास दिखाई दी।उनकी शैक्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है।इससे पता चलता है कि छठी कक्षा में उन्होंने सभी विषयों में ग्रेड ए 1 या ग्रेड ए 2 हासिल किया था। लेकिन, 7 वीं कक्षा में, उनके प्रदर्शन में भारी गिरावट आई थी।उन्होंने अधिकांश विषयों में सी1 या सी2 ग्रेड प्राप्त किया और एक विषय में बी1 और दूसरे विषय में बी2 ग्रेड प्राप्त किया।यह घटना तब हुई जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ रही थी।उसके शैक्षिक पतन के बारे में चिंतित, उसके माता-पिता ने एरनाकुलम में एक परामर्शदाता से परामर्श किया।काउंसलर के बयान से पता चलता है कि बच्चा लगातार रो रहा था और पहले सत्र में इसका कारण बताने के लिए तैयार नहीं था।वह उदास भी पाई गई।केवल परामर्श के दूसरे सत्र में, उन्होंने खुलकर बात की और घटना का खुलासा किया।डर के कारण, उसने अपनी माँ को भी इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अपराधी उसकी माँ का भाई है।इसलिए, देरी के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी है।

/

/

/

/

9. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि यह मामला पीड़ित की मां द्वारा उनके बीच संपत्ति विवाद को देखते हुए उठाया गया जवाबी कदम है। वह मीनांगडी पुलिस स्टेशन के No.454/2022 के रूप में दर्ज एक अपराध पर भरोसा करता है, जिसमें बच्चे की मां और सौतेले पिता आरोपी हैं।वह एफ. आई. आर. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 447,323,324,354 ए (1) (आई), 354 ए (1) (आई), 307 और 211 आर/डब्ल्यू 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। लेकिन, वह अपराध केवल 09.06.2022 पर दर्ज किया गया था।अर्थात्, इस अपराध के पंजीकरण के बाद।इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत "वॉट्सऐप" चैट का प्रिंटआउट जिसमें उसके और पीड़ित के सौतेले पिता के बीच की चैट है, यह दर्शाता है कि एफ. आई. आर. No.442/2022 में कथित घटना की तारीख के बाद भी उनके बीच ऐसी कोई विसंगति नहीं थी।इसलिए, यह मानने का हर कारण है कि एफ. आई. आर. No.442/2022 में ए हो सकता है।

/

/

/

याचिकाकर्ता द्वारा इस अपराध में अभियोजन पक्ष को बचाने के लिए एक विचार के रूप में शुरू किया गया था।

x x x x x

13. केस डायरी से मुझे अभियोजन मामले के समर्थन में प्रथम दृष्टया सामग्री मिलती है।यदि ऐसा है, जैसा कि जॉय बनाम केरल राज्य (2019 (1) के. एल. टी. 935) में धारा के अंतर्गत अनुमान लगाया गया है। पी. ओ. सी. एस. ओ. अधिनियम की धारा 29 पर भी अदालतों द्वारा जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विचार किया जाना है।मैंने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि क्या याचिकाकर्ता को हिरासत में रखना आवश्यक है।याचिकाकर्ता के अनुसार, बरामद करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीड़ित के विद्वान वकील ने कहा कि पीड़ित ने अभी भी सामान्य स्थिति प्राप्त नहीं की है और जमानत देने से उसकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह असहाय महसूस कर सकती है।विद्वान वकील यह भी बताते हैं कि याचिकाकर्ता का एक वकील होने के नाते समाज और पुलिस में बहुत प्रभाव और पकड़ है और वह सुचारू जांच में हस्तक्षेप कर सकता है।मुझे इन प्रस्तुतियों में पर्याप्त बल मिलता है।यदि जमानत देना पीड़ित के हित में नहीं है, तो न्यायालय को जमानत देने से इनकार करना पड़ता है क्योंकि पीड़ित की भलाई भी पीओसीएसओ मामलों में एक प्रासंगिक कारक है। "

/

/

/

/

8. उपरोक्त से, यह ध्यान देना उचित है कि विशेष न्यायाधीश ने जॉय बनाम केरल राज्य, (2019) 1 के. एल. टी. 935 के मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया है कि अदालतें अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत के आवेदन पर विचार करते समय पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमान पर विचार करेंगी। 9.जॉय (उपरोक्त) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

/

“10. यह न्यायालय अधिनियम की धारा 29 से बेखबर नहीं है जिसमें एक विधायी आदेश है कि न्यायालय अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान तब तक लगाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।अधिनियम की धारा 29 में कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 3,5,7 और 9 के अंतर्गत कोई अपराध करने या उकसाने या करने का प्रयास करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है या उकसाया है या करने का प्रयास किया है।

/

/

/

हो, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।न्यायालय अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत उस व्यक्ति द्वारा दायर जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अनुमान पर विचार करेगा जो अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त अपराधों का आरोपी है (बिहार राज्य बनाम राजबल्लव प्रसाद, (2017) 2 एस. सी. सी. 178 देखें।एआईआर 2017 एससी 630)।

/

11. हालाँकि, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत वैधानिक अनुमान का मतलब यह नहीं है कि अभियोजन संस्करण को हर मामले में सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।अनुमान का मतलब यह नहीं है कि न्यायालय किसी विशेष मामले की विशेष विशेषताओं को ध्यान में नहीं रख सकती है।अभियोजन पक्ष के संस्करण में पेटेंट की बेतुकी बातों या अंतर्निहित दुर्बलताओं या असंभवताओं से अभियोजन पक्ष के मामले में झूठ का एक अप्रतिरोध्य

अनुमान लग सकता है।अनुमान तभी लागू होगा जब अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड तथ्यों को लाने में सक्षम होगा जो अनुमान के लिए आधार बनाएगा।अन्यथा, अभियोजन पक्ष को केवल अभियुक्त के खिलाफ कुछ आरोप लगाने और यह दावा करने की आवश्यकता होगी कि उसके द्वारा प्रस्तावित मामला सच है।अदालतों को यह देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि आवश्यक तथ्यों को स्वीकार किए बिना अनुमान को लागू करने से कोई अन्याय न हो।अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमान निरपेक्ष नहीं है।वैधानिक धारणा तभी सक्रिय या सक्रिय होगी जब अभियोजन पक्ष आवश्यक बुनियादी तथ्यों को साबित करेगा।यदि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करने में सक्षम है या अभियुक्त रिकॉर्ड सामग्री लाता है जो अभियोजन पक्ष के संस्करण को अत्यधिक असंभव बना देगा, तो धारणा कमजोर हो जाएगी। जैसा कि शीर्ष न्यायालय ने सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस. सी. सी. 694 में अभिनिर्धारित कियाः ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 312, अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम में, अभियुक्त अग्रिम जमानत के आदेश का हकदार है।अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए कोई लचीले दिशानिर्देश या स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला प्रदान नहीं किया जा सकता है।यह अनिवार्य रूप से विधायी इरादे के अनुरूप प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। "

/

/

/

/

/

/

1019

सुमिता प्रदीप बनाम अरुण कुमार सी. के. और ए. एन. आर.

/

10. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 (मूल अभियुक्त) को अग्रिम जमानत देते हुए, आक्षेपित आदेश के पैरा 9 में कुछ ऐसा अवलोकन किया जिसने वास्तव में हमें परेशान किया है।पैरा 9 इस प्रकार हैः-

“9. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, तो यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता पीड़ित का मामा है, जिसके घर पीड़ित दिसंबर, 2021 में गई थी।14.12.2021 पर, पीड़ित को याचिकाकर्ता की गोद में बैठने के लिए कहा गया था,

जिसके बाद कथित तौर पर उसने पीड़ित को गले लगाया और उसके गालों को चूमा।हालांकि एक तरफ, इस तरह के गले मिलने और चुंबन एक चाचा द्वारा स्नेह की अभिव्यक्ति होने की संभावना है, लेकिन इस तरह के 'स्नेह' के प्रदर्शन के यौन रंगों से रंगीन होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।हालांकि, ये सभी जांच के विषय हैं। "

/

/

11. हमारी सुविचारित राय में, आक्षेपित आदेश के पैरा 9 में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित हैं और संहिता की धारा 164 के अंतर्गत पीड़ित-बालिका के बयान के साथ विधिवत समर्थित प्राथमिकी में निहित विशिष्ट आरोपों की अनदेखी की गई है।

/

12. इस तरह के गंभीर आरोपों वाले मामले में, उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जांच अधिकारी जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए स्वतंत्र होने का हकदार है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से हिरासत में पूछताछ करने से रोका गया है, आरोपों में प्रथम दृष्टया सार का पता लगाने के लिए शायद ही उपयोगी हो सकता है, जो प्रकृति में अत्यधिक गंभीर हैं।

/

/

13. तथ्य यह है कि पीड़ित-लड़की को इतना अधिक आघात पहुँचता है कि उसके शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के माध्यम से प्रतिबिंबित विधायी इरादे के साथ, एक न्यायालय को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने में अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त हैं।

/

14. यह सच हो सकता है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।हमारी ओर से यह मान लेना अनुचित होगा कि जांच अधिकारी को आगे की जांच के उद्देश्य से हिरासत में पूछताछ के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की आवश्यकता नहीं है।

/

1020

/

/

15. चाहे जो भी हो, यह मानते हुए भी कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को अभिरक्षा पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं है, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय को अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत नहीं देनी चाहिए थी।

16. हम एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जिसमें मूल शिकायतकर्ता (इसमें अपीलकर्ता) इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए आया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में कहें तो शिकायतकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने पॉक्सो जैसे बहुत गंभीर अपराध में अभियुक्त को अग्रिम जमानत देते समय अपने विवेक का गलत उपयोग किया और इसलिए, अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।कई अग्रिम जमानत मामलों में, हमने देखा है कि एक सामान्य तर्क का प्रचार किया जा रहा है कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, अग्रिम जमानत दी जा सकती है।विधि की एक गंभीर गलत धारणा प्रतीत होती है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा हिरासत में पूछताछ के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाता है, तो केवल वही अग्रिम जमानत देने के लिए एक अच्छा आधार होगा।अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय हिरासत में पूछताछ अन्य आधारों के साथ विचार किए जाने वाले प्रासंगिक पहलुओं में से एक हो सकती है।ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले को नजरअंदाज या अनदेखा किया जाना चाहिए और उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करने वाली न्यायालय को जिस पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात पर विचार करना चाहिए, वह है आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया दर्ज किया गया मामला।इसके बाद, सजा की गंभीरता के साथ-साथ अपराध की प्रकृति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।हिरासत में पूछताछ अग्रिम जमानत को अस्वीकार करने के आधारों में से एक हो सकती है।हालांकि, भले ही हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता या आवश्यकता न हो, अपने आप में अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है।

/

/

/

/

/

17. इस मामले को समाप्त करने से पहले एक और स्पष्टीकरण आवश्यक है।हमने जॉय (उपरोक्त) के मामले में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है।जॉय (उपरोक्त) का मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 से संबंधित है। जब विद्वान न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका का फैसला किया, तो जॉय (उपरोक्त) के मामले में समन्वय पीठ का निर्णय उसके लिए बाध्यकारी था।वह एक बाध्यकारी निर्णय को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।यह कहना एक अलग बात है कि यदि वह लिए गए दृष्टिकोण से असहमत हो सकते हैं और तदनुसार इसे एक बड़ी पीठ को भेज सकते हैं।हालाँकि, जॉय (सुप्रा) में दिए गए कथन को देखे बिना, उच्च ए द्वारा की गई टिप्पणियाँ

/

/

1021

सुमिता प्रदीप बनाम अरुण कुमार सी. के. और ए. एन. आर.

ऊपर निर्दिष्ट अपने आक्षेपित आदेश के पैरा 9 में न्यायालय को पूरी तरह से अनुचित कहा जा सकता है और यह उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं है।

18. हम वर्तमान मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं।पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 की सहायता के बिना भी, हम आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देते समय प्रतिवादी संख्या 1 (मूल अभियुक्त) के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में गंभीर त्रुटि की है।

/

19. पूर्व में बताए गए कारणों के लिए, और मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, हम इस अपील की अनुमति देते हैं; प्रत्यर्थी संख्या 1 को अग्रिम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दें।

/

20. जाँच अधिकारी को विधि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती है।

21. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विधि अपना काम करेगा।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/